संख्या – 16 गोशाला विकास/2012 49

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार, भा0प्र0से0,
सरकार के सचिव।

URGENT
माननीय उच्च न्यायालय के अवमाननावाद से संबंधित

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया।

पटना–15, दिनांक 24-02-2015

विषय : **गया जिला में स्थित निबंधित गोशालाओं की परिसम्पतियों एवं अतिक्रमण/अवैध दखल (अनधिकृत कब्जा) से संबंधित पूर्ण एवं सटीक सूचनाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग : **आपका पत्रांक 559/रा0 दिनांक 20.02.2015 ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर अग्रेतर कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता है

1. आपके प्रासंगिक पत्र की कंडिका–1 तथा कंडिका–2 में अंकित भूमि (क्रमशः मानपुर अंचल स्थित मौजा नौरंगा में 4.50 एकड़ तथा मौजा गेरे में 3.15 एकड़ भूमि) का कब्जा किसी रामवचन यादव को दिया गया है। वैधानिक तौर पर उस व्यक्ति का प्राधिकार संदिग्ध है। अतः इन दोनों कंडिकाओं में वर्णित भूमि का कब्जा अध्यक्ष प्रबंध समिति अर्थात् अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, गया के द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। अतः इस संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी को अध्यक्ष, प्रबंध समिति के हैसियत से तत्काल उक्त भूमि खण्डों को कब्जे में लेकर प्रतिवेदित करने का निदेश दें।

2. आपके प्रासंगिक पत्र की कंडिका–3 ओर 4 में भू–हदबंदी के अंतर्गत गोशाला की भूमि के अधिग्रहण वितरण के तथ्य दिये गये हैं। इन दोनों मामलों में वैधानिक परामर्श प्राप्त कर अनुमण्डल पदाधिकारी सह अध्यक्ष, प्रबंध समिति, श्री गया गोशाला, बुनियादगंज, गया को विधिसम्मत् कार्रवाई करनी होगी तथा यदि भू–हदबंदी की कार्रवाई प्रबंध समिति को वैधानिक दृष्टिकोण से अमान्य लगती है तो उन्हें सक्षम न्यायालय के समक्ष वैधानिक कार्रवाई करनी होगी।

3. प्रासंगिक पत्र की कंडिका–3 एवं 4 में शेष भूमि (क्रमशः मानपुर अंचल स्थित मौजा बुढ़ी में 3.332 एकड़ तथा वजीरगंज स्थित मौजा इटवा में 36.408 एकड़ भूमि) परती दिखाई गई है तथा किसी वचन जी को गोशाला के नाम से यह भूमि कब्जे में दी गई है। वैधानिक दृष्टिकोण से श्री वचन जी का प्राधिकार संदिग्ध है। अतः इन दोनों भूखण्डों पर प्रबंध समिति के

अध्यक्ष के नाते अनुमण्डल पदाधिकारी का दखल कब्जा होना चाहिए। इसलिए अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया जाय कि वे कंडिका–3 एवं 4 में वर्णित भूमि को अविलम्ब गोशाला के कब्जे में लेकर प्रतिवेदित करें।

4. प्रासंगिक पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त गोशाला के पास और भी परिसम्पतियाँ है। गोशाला रजिस्टर में अंकित परिसम्पतियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। अतः इस तथ्य का सत्यापन आवश्यक है कि क्या गोशाला की सभी परिसम्पतियों के बारे में सूचनाएँ संकलित कर ली गई है।

5. चूकि माननीय न्यायालय के समक्ष एक तालिका में पूरे राज्य की निबंधित गोशालाओं की सूचनाएँ समर्पित करनी हैं। इसलिए विभागीय पत्र द्वारा विहित प्रपत्र में ही अद्यतन सूचनाएँ अविलम्ब प्रेषित की जाय।

विश्वासभाजन

24/12

सरकार के सचिव